Gauhati/Hajai to Hilara/Behara (in Cachar) is necessary for speedy improvement of backward area and for security of border area; and

(b) if so, whether Government propose to take immediate steps in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). With a view to cope with the vastly increased traffic anticipated in the near future, in the area presently served by Lumding-Badarpur Hill Section, a Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for an alternative BG route from Gauhati/Jagai Road to Badarpur has been included in the Budget for 1981-82. Further consideration to this project will be given after the results of the survey become known, subject to availability of resources and its clearance by the Planning Commission.

राष्ट्रीय परमिटों का दिया जाना

7802. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परमिट मंजूर करने के निर्धारण नियम क्या हैं और क्या अब तक दिए गए परमिट इन नियमों के अनुसार मंजूर किए गए हैं ;

(ख) अब तक कितने राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए हैं; और

(ग) क्या परमिट जारी करने के लिए नियमों में कुछ छूट दी गई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, किस हद तक छूट दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मोटर यान अधिनियम, 1939 के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट राज्य सरकारों और संघ-शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा गठित राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा दिए जाते हैं। ये संस्थाएं अर्द्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं। उक्त परमिट अधिनियम की धारा 63 की उपधारा 11 से 14 में उल्लिखित उपबन्धों तथा अन्य सम्बन्धित धाराओं के अनुसार तथा मोटर गाड़ी (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975 में उल्लिखित निम्नलिखित बातों के आधार पर जारी किए जाते हैं ; अर्थात्, :—

(i) जन हित में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान लाने-ले-जाने में आवेदनकर्त्ता का योगदान क्या है ;

(ii) क्षेत्रीय, राज्य और अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय परमिटों के आधार पर माल लाने ले जाने के क्षेत्र में आवेदनकर्ता का अनुभव कितना है।

2. जो आवेदन कर्ता राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय परमिट दिए जाने से संतुष्ट नहीं है, वे इस सम्बन्ध में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकते है और उसके बाद, वे अपना मामला उच्चन्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जा सकते है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय 7752 मोटर गाड़ियां राष्ट्रीय परमिटों के अधीन चल रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

Unattended Sick Wagons

7803. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of wagons added on the sick list of wagons since January, 1980;

(b) the reasons for the growing number of sick wagons and the backlog remaining unattended; and

(c) the quantum of loss sustained by the Railways since January, 1980 as a result thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) 22,267 wagons as on 1-1-1980 and 28,255 wagons as on 31-3-1981 were ineffective (generally referred to as sick) for periodical preventive and breakdown repairs (including those under or awaiting repairs in Workshops).

(b) The backlog in wagon repairs was due to frequent stoppages of power supplied to wagon repair workshops, depots and sicklines etc., inadequate supply of vital materials required for maintenance from trade. The increase in the number of ineffective wagons is due to planned segregation of all unloadable wagons to undertake large scale repairs on wagons affected by corrosion in order to make them fit for loading of all commodities.

(c) Railways loaded 18.53 million tonnes in January, 1981 as compared to 17.12 million tonnes in January 1980, as such there has been no loss in loading.

16 अप जी० टी० एक्सप्रेस का चलना

7804. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 अप जी टी एक्सप्रेस पिछले तीन महीनों में नई दिल्ली और पलवल के बीच कितनी बार शटल ट्रेन की तरह चली ;

(ख) ऐसे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं और इसके क्या कारण है; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए रेल विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख). नई दिल्ली और पलवल के बीच मार्गवर्ती स्टेशनों पर 16 अप जी० टी० एक्सप्रेस को जनवरी में छः दिन, फरवरी में सात दिन और मार्च, 81 में पांच दिन ठहराया गया था। रेक के विलम्ब से आने के कारण, जिसे 374 अप पलवल शटल के रूप में चलाया जाना था, नई दिल्ली-पलवल खण्ड पर दैनिक यात्रियों की वापसी यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया था। चूंकि 19.30 और 21.30 बजे के बीच कोई अन्य गाड़ी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा था।

(ग) 374 अप पैसेंजर गाड़ी को समय पर चलाना सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

निजामुद्दीन, दिल्ली और नई दिल्ली आने वाली गाड़ियों का लेट चलना

7805. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान, तारीख-वार निजामुद्दीन, दिल्ली मेन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आने वाली कौन-कौन सी गाड़ियां नियत समय पर आ गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों से गाड़ियां समय पर नहीं चल रही है, ; और